-:प्रेस नोट:-

दिनांक- 03.04.2025

कार्यालय पुलिस अधीक्षक बांदा

❖ **ऑपरेशन कन्विक्शन के तहत त्वरित एवं निष्पक्ष विवेचना, प्रभावी अभियोजन एवं पैरवी के फलस्वरुप अलग-अलग 03 मामलों में कुल 04अभियुक्तों को कारावास व 22 हजार रुपये के जुर्माने से कराया गया दण्डित।**

विवरण– पुलिस महानिदेशक उत्तर प्रदेश के निर्देशन में चलाये जा रहे अभियान **ऑपरेशन कन्विक्शन** के तहत कड़ी सजा दिलाये जाने के क्रम में पुलिस अधीक्षक बांदा श्री अंकुर अग्रवाल के कुशल निर्देशन में अलग-अलग **03 मामलों में कुल 04अभियुक्तों को कारावास व 22 हजार रुपये** के जुर्माने से दण्डित कराया गया जिनका विवरण निम्न है-

अभियोग-

1. थाना मटौन्ध पर पंजीकृत अभियोग- 77/23 धारा 2/3 गैंगस्टर एक्ट के 02 अभियुक्तों 1-गजोधर प्रजापति उर्फ जागेन्द्र पुत्र श्यामलाल निवासी मोहनपुरवा थाना मटौन्ध जनपद बांदा व 2-अशोक वर्मा पुत्र गंगाराम निवासी रुपनगर थाना चरखारी जनपद महोबा को **02 वर्ष 03 माह के कारावास व 6000-6000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
2. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 161/24 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त अमित वर्मा पुत्र धर्मराज उर्फ कल्लू निवासी आजाद नगर बबेरु जनपद बांदा को **01 वर्ष 01 माह के कारावास तथा 5000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।
3. थाना कोतवाली नगर पर पंजीकृत अभियोग- 858/13 धारा 8/20 एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त पप्पू पुत्र भोला निवासी बरसड़ा थाना गिरवां जनपद बांदा को **01 वर्ष 06 माह 15 दिन के कारावास तथा 5000/ रुपये के जुर्माने** से दण्डित कराया गया।